उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड
8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून
E mail- foodcommfcs@gmail.com Phone –0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या– 69 /अधि0/ /2018 देहरादून दिनांक 07 अप्रैल 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2016) की धारा 16 के प्रस्तर–1 तथा धारा 21 के प्रस्तर 1–2 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा तथा लेखा शाखा में ''कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

1– अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष

2– संयुक्त आयुक्त (आपूर्ति शाखा हेतु), मुख्य विपणन अधिकारी (विपणन शाखा हेतु) तथा वित्त नियंत्रक (लेखा शाखा हेतु) खाद्य,नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड – सदस्य

3– उपायुक्त (मु0) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड– सदस्य

4– उप नियंत्रक, विधिक बाट माप विज्ञान, उत्तराखण्ड– सदस्य

2– आपूर्ति शाखा/विपणन शाखा/वित्त शाखा के कार्मिकों के स्थानान्तरण पर विचार करने हेतु कमांक–2 पर अंकित सम्बन्धित शाखा के नामित अधिकारियों द्वारा ही सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया जायेगा।

3– समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी, और अपनी संस्तुति विभागाध्यक्ष को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
आयुक्त

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून
E mail- foodcommfcs@gmail.com
Phone –0135 2740765, Fax- 2741390

पत्रांक–107 /आ0खा0/ /2018 दिनांक : 16 अप्रैल, 2018

–:: कार्यालय आदेश ::–

शासन के पत्र संख्या–30/XXX-2/2018–30(13)2017 दिनांक 06–02–2018 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवाकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 4 (3) एंव 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन हेतु विभागाध्यक्ष स्तर से जारी किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में जनपदवार वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 4 (3) एंव 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों के विभागाध्यक्ष स्तर से चिन्हांकन कर लिया गया है, तद्नुसार संलग्न (परिशिष्ट–1) के अनुसार चिन्हांकन किया जाता है।

(आनन्द बर्द्धन)
आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल।

(आनन्द बर्द्धन)
आयुक्त

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग की (आपूर्ति शाखा) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर से सुगम/दुर्गम चिन्हित जनपद/क्षेत्र

परिशिष्ट–1

कमांक	जनपद	सुगम	दुर्गम
1	देहरादून (सुगम)	समस्त क्षेत्र (विकासखण्ड चकराता को छोड़कर)	विकासखण्ड चकराता
7	हरिद्वार (सुगम)	समस्त क्षेत्र	–
2	टिहरी (दुर्गम)	नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती को छोड़कर)
3	उत्तरकाशी (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र
4	पौड़ी (दुर्गम)	नगर पालिका परिषद, कोटद्वार	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, कोटद्वार, को छोड़कर)
5	रूद्रप्रयाग (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र
6	चमोली (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र
8	ऊधमसिहनगर (सुगम)	समस्त क्षेत्र	–
9	नैनीताल (सुगम)	नगर निगम/नगर पालिका/ विकासखण्ड–हल्द्वानी तथा रामनगर	समस्त क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/ विकासखण्ड–हल्द्वानी तथा रामनगर को छोड़कर)
10	अल्मोड़ा (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र
11	बागेश्वर (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र
12	चम्पावत (दुर्गम)	नगर पालिका परिषद, टनकपुर/बनवसा	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, टनकपुर/बनवसा को छोड़कर)
13	पिथौरागढ (दुर्गम)	–	समस्त क्षेत्र

DC(HQ) J.C

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
2–अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3–वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4–संयुक्त आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5–मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6–उपायुक्त, (मु0) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7–उपनियंत्रक, विधिक बाट माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(आनन्द बर्द्धन)
आयुक्त